

परियोजना-5 के लिए प्रपत्र

(नोट: सहायतानुदान मिल जाने पर निमंत्रण-पत्र/स्मारिका पर विभाग के प्रति आभार प्रकाशित करना आवश्यक है। इन्हें प्रकाशित न किए जाने की दशा में मंच से आभार व्यक्त किया जाना आवश्यक है)

1	संस्था का नाम व पूरा पता	
2	पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या और तिथि	
3	कार्यक्रम का नाम	
4	कार्यक्रम की तिथि	
5	कार्यक्रम स्थल (हाल का किया गया है तो मूल रसीद संलग्न करें)	
6	प्रतिभागियों की संख्या	
7	आयोजक संस्था के कितने कलाकार उत्सव में भाग ले रहे हैं	
8	क्या प्रकाश व ध्वनि यंत्र चाहिए	
9	कार्यक्रम हेतु अपेक्षित सहायतानुदान राशि	

हस्ताक्षर :

पदनाम :

संस्था :

जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश :

- 1 मैंने स्वयं आयोजकों द्वारा आमंत्रित संस्थाओं का परिचय प्राप्त कर लिया है। प्रतिभागी संस्थाएँ (जिनकी स्वीकृति आ चुकी है) इन संस्थाओं के कुल सदस्यों की संख्या [] है।
- 2 आयोजक संस्था भी एक आयोजन दे रही है जिसमें उसी संस्था के सदस्य भाग ले रहे हैं।
- 3 संस्था द्वारा मुझे भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन [] (स्थान) पर [] (दिनांक) होना निश्चित हुआ है।
- 4 इस आयोजन की पूर्ण रिपोर्ट आयोजन देखने के उपरांत प्रस्तुत कर दी जाएगी।
- 5 मैं सिफारिश करता हूँ कि इस संस्था को [] रुपये का अनुदान दिया जाये।

जिला भाषा अधिकारी

भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सहायतानुदान का
उपयोगिता प्रमाण-पत्र

पत्र संख्या: [] दिनांक [] द्वारा स्वीकृत [] रुपये का
सहायतानुदान ।

प्रमाणित किया जाता है कि [] रुपये जो इस संस्था को []
कार्यक्रम के लिए दिए गए थे दिनांक [] को [] स्थान पर आयोजित समारोह
में जिस मद के लिए प्राप्त हुए थे उसी के लिए उपयोग में लाए गये हैं ।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

संस्था का नाम :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम को मैंने स्वयं /मेरे
प्रतिनिधि श्री [] ने देखा है । मेरी/मेरे प्रतिनिधि की रिपोर्ट है कि कार्यक्रम
निष्कृष्ट/साधारण/उत्तम/अति उत्तम/सर्वोत्कृष्ट था (जिस स्तर का हो उसे रहने दें बाकी काट
दें)। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि दी गई धनराशि उन्हीं मदों पर खर्च की गई है जिसके
लिए स्वीकृत की गई थी ।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संस्था द्वारा खरीदे गए लोक वाद्ययन्त्र/लोक परिधान
स्वयं देखे हैं। इनका मूल्य [] रुपये है ।

जिला भाषा अधिकारी

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत
किया गया था उन्हें संस्था ने पूरा किया है और धन वास्तव में उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए
व्यय किया गया है जिसके लिए स्वीकृत हुआ था ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
भाषा एवं संस्कृति विभाग

प्रतिहस्ताक्षर
निदेशक, भाषा एवं संस्कृति

परियोजना-5

ललित कला प्रतियोगिता/उत्सव आदि के आयोजन हेतु सहायतानुदान
(सरकार के पत्र संख्या: भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्टूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

इस परियोजना का उद्देश्य आयोजकों का समूह तैयार करना नहीं होगा बल्कि इसके निम्न उद्देश्य होंगे :-

1. सांस्कृतिक गतिविधियों को बाहर से आमंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रसारित करवाना, और
- 2 इन गतिविधियों में संस्था द्वारा निष्पादन कला में शामिल करना ।
- 3 निष्पादन कलाओं को एक मंच प्रदान करना ।
- 4 एक क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों को पहचानना ।

2 संस्थायें :

- 1 संस्था का केवल ऐसे आयोजन करना ही व्यवसाय नहीं होना चाहिए और
- 2 संस्था/समिति, पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए, या
- 3 संस्था साविधिक होनी चाहिए ।

3 धन राशि के लिए मर्दें :

- 1 यदि संस्था ललित कला की कोई प्रतियोगिता करवा रही है तो विभाग प्रति आयोजन 1,000/- रुपये तक देगा बशर्ते कि संस्था के सदस्य भी कलाकार की हैसियत से प्रतियोगिता में भाग लेंगे पर इनाम के हदकार नहीं होंगे ।
- 2 हाल का कियाया यदि दिया है तो मूल रसीद की प्राप्ति पर वह चुकता कर दिया जावेगा ।
- 3 प्रकाश व ध्वनि यंत्रों को विभाग प्रदान करेगा । संचालक का पारिश्रमिक विभाग ही देगा ।
- 4 एक संस्था को यह सहायतानुदान वर्ष में केवल एक बार ही दिया जायेगा।
- 5 ऐसी प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों की संख्या कम से कम 50 होनी आवश्यक है ।
- 6 यदि प्रतियोगी, पचास से कम हों तो सहायतानुदान की राशि, प्रति पांच तक की संख्या को एक इकाई मानकर, प्रति इकाई 100/- रुपये के अनुपात से घटती चली जायेगी ।